<u>1</u> <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 871/2016</u>

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश प्रकरण कमांक 871 / 2016 सांस्थापित दिनांक 22 / 12 / 2016

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

> > अभियोजन

बनाम

 गजाधर माहौर पुत्र संतोषीलाल माहौर उम्र 27 वर्ष निवासी सिकरौदी थाना सिहोनिया जिला मुरैना म.प्र.

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा— 279 एवं मोटरयान अधि. की धारा <u>3 / 181</u> एवं 146 / 196 भा.दं.सं) (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता— श्री प्रवीण गुप्ता)

> <u>::- नि र्ण य --::</u> (आज दिनांक 02/03/17 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 21/11/16 को दिन के करीबन 11 बजे चितौरा पेट्रोल पम्प के सामने लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाइकिल क. एमपी06 एमएफ 8783 को बिना बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए मोटरसाइकिल क. एमपी30 एमजी 4307 में टक्कर मारकर उसमें बैठे आहत पुत्तूलाल को चोट पहुंचाकर उसे साधारण उपहित कारित करने हेतु भा.दं.सं. की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

- 2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 21/11/16 को फरियादी सोनू शर्मा अपनी मोटरसाइकिल क. एमपी30 एमजी 4307 से अपेन पिता पुत्तूलाल के साथ बैंक से पैसे निकालकर ग्राम पिपरसाना जा रहा था वह जैसे ही चितौरा पेटोल पम्प के सामने पहुंचा था तो मोटरसाइकिल क. एमपी06 एमएफ 8783 का चालक गजाधर मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया था और फरियादी सोनू की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से सोनू के पिता पुत्तूलाल शर्मा के सिर व घुटने में चोट आयी थी। मौके पर डायल 100 आ गयी उसने आह्त को अस्पताल में भर्ती कराया था। फरियादी सोनू शर्मा की सूचना पर मौके पर ही देहाती नालशी लेखबद्ध की गयी थी। तत्पश्चात् पुलिस थाना गोहद में अपराध क्रमांक 345/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नकशा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

- 4. ये उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादी सोनू उर्फ सुनील एवं आह्त पुत्तूलाल द्वारा आरोपी से स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को पूर्व में ही भा.दं.सं. की धारा 337 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी के विरुद्ध मात्र भा.दं.सं. की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 146/196 के अंतर्गत विचारण शेष है।
- 5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुकत परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किय है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूटा फंसाया गया है।
- 6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :--
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 21/11/16 को दिन के करीबन 11 बजे चितौरा पेट्रोल पम्प के सामने लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाइकिल क. एमपी06 एमएफ 8783 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
 - 2. क्या आरोपी के पास घटना दिनांक समय व स्थान पर मोटरसाइकिल क. एमपी०6 एमएफ 8783 को चलाने का बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था?
- 7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी सुनील उर्फ सोनू अ.सा. 1, आह्त पुत्तूलाल शर्मा अ.सा.2, प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ.सा.3 एवं प्रधान आरक्षक भानू प्रताप सिंह अ.सा. 4 को परीक्षित कराया गया है, जबिक आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

<u>निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण</u> <u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2</u>

- 8. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों ही विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 9. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी सुनील उर्फ सोनू अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन मे व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक महीने पहले की है वह अपने पिता पुत्तूलाल के साथ बैंक से निकलकर मोटरसाइकिल से रोड पर आया था, उसकी मोटरसाइकिल का नंबर एमपी30 / 4307 था, वह मोटरसाइकिल से रोड क्रॉश कर रहा था तभी गोहद की तरफ से तेजी से एक गाड़ी आयी थी और उसने उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी जिससे वह और उसके पिता गिर गये थे और उन्हें चोटें आ गयी थीं। मौके पर डायल 100 पहुंच गयी थी जो उसे व उसके पिता को अस्पताल ले गयी थी। उसने मौके पर रिपोर्ट लिखायी थी जो प्रदर्श पी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि जिस वाहन से उसका एक्सीडेंट हुआ था वह मोटरसाइकिल थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि

उसे आरोपी गजाधर चला रहा था। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी गजाधर ने मोटरसाइकिल क. एमपी06 एमएफ 8783 को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने उक्त बात अद्म चैक प्रदर्श पी 1 एवं पुलिस कथन प्रदर्श पी 3 में पुलिस को बतायी थी।

- 10. आहत पुत्तूलाल शर्मा अ.सा. 2 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग डेढ़—दो महीने पहले की है वह सुनील के साथ चितौरा बैंक से पैसे निकालने मोटरसाइकिल से गया था। मोटरसाइकिल सुनील चला रहा था, वह पैसे निकालकर वापस आ रहा था। जैसे ही सुनील ने रोड कॉश करने के लिए मोटरसाइकिल मोड़ी थी तभी चितौरा तरफ से एक गाड़ी तेजी से चलते हुए आयी थी और उसने उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से वह और सुनील नीचे गिर पड़े थे। टक्कर मारने वाली गाड़ी का नम्बर क्या था वह नहीं बता सकता है। उसे कौन चला रहा था वह यह भी नहीं बता सकता है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित करसूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उक्त मोटरसाइकिल को आरोपी गजाधर चला रहा था। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी गजाधर ने मोटरसाइकिल क. एमपी06 एमएफ 8783 को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी।
- 11. प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ.सा. 3 ने प्रदर्श पी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है एवं प्रधान आरक्षक भानू प्रताप सिंह अ.सा. 4 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।
- 12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 13. ये उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी सोनू एवं आह्त पुत्तूलाल द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को पूर्व में ही भा.दं.सं. की धारा 337 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी के विरुद्ध मात्र भा.दं.सं. की धारा 279 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 146/196 के अंतर्गत विचारण शेष है।
- 14. उक्त सबंध में फरियादी सुनील उर्फ सोनू अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह अपने पिता के साथ बैंक से पैसे निकालने मोटरसाइकिल से गया था तथा बैंक से पैसा निकालकर जैसे ही वह मोटरसाइकिल से रोड कॉश करने लगा था तभी गोहद की तरफ से एक गाड़ी आयी थी, जिसने उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। आह्त पुत्तूलाल शर्मा अ.सा. 2 ने भी यह बताया है कि घटना वाले दिन वह सुनील के साथ मोटरसाइकिल से बैंक से पैसे निकालकर आ रहा था जैसे ही सुनील ने रोड कॉश करने के लिए मोटरसाइकिल मोड़ी थी तभी चितौरा की तरफ से एक मोटरसाइकिल तेजी से चलती हुयी आयी थी और उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। उक्त दोनों ही साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त दोनों ही साक्षियों ने इस तथ्य से इंकार किया है जिस वाहन से उनका एक्सीडेंट हुआ था वह मोटरसाइकिल थी एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसे आरोपी गजाधर चला रहा था। उक्त साक्षीगण द्वारा इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी गजाधर ने आरोपित मोटरसाइकिल क. एमपी06 एमएफ 8783 को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल में

- 15. इस प्रकार फरियादी सुनील उर्फ सोनू एवं आह्त पुत्तूलाल अ.सा. 2 ने अपने कथन में उनका घटना दिनांक को एक्सीडेंट होना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन कौन सा था,उसका नम्बर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षीगण द्वारा इस तथ्य से भी इंकार किया गया है कि आरोपी गजाधर ने आरोपित मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी।
- 16. यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी 1 के अद्म चैक में आरोपी गजाधर द्वारा तेजी व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाते हुए वाहन दुर्घटना कारित किये जाने का उल्लेख है, परंतु यह बात फिरयादी सुनील उर्फ सोनू अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में नहीं बतायी है। उक्त साक्षी द्वारा इस तथ्य से इंकार किया गया है कि आरोपी गजाधर ने आरोपित मोटरसाइकिल को चलाते हुए वाहन दुर्घटना कारित की थी एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने आरोपी द्वारा वाहन दुर्घटना कारित करने वाली बात अद्म चैक प्रदर्श पी 1 में पुलिस को बताई थी। इस प्रकार फिरयादी सुनील उर्फ सोनू अ.सा. 1, आह्त पुत्तूलाल शर्मा अ.सा. 2 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।
- 17. प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ.सा. 3 द्वारा प्रदर्श पी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया जाता है एवं प्रधान आरक्षक भानू प्रताप सिंह अ.सा. 4 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है उक्त साक्षी प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। प्रकरण में आयी साक्ष्य को देखते हुए उक्त बिंदु पर उक्त साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।
- 18. समग्र अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में फरियादी सुनील उर्फ सोनू अ. सा. 1 एवं पुत्तूलाल शर्मा अ.सा. 2 ने एक्सीडेंट होना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन कौन सा था, उसका नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। सुनील उर्फ सोनू अ.सा. 1 एवं आह्त पुत्तूलाल अ.सा. 2 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। साक्षी प्रमोद पावन अ.सा. 3 एवं भानू प्रताप सिंह अ.सा. 4 प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपित मोटरसाइकिल क. एमपी०६ एमएफ 8783 को आरोपी गजाधर चला रहा था एवं आरोपी गजाधर ने आरोपित मोटरसाइकिल को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादी सुनील उर्फ सोनू की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर वाहन दुर्घटना कारित की थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 19. जहां तक आरोपी के पास घटना दिनांक को आरोपित मोटरसाइकिल का बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस न होने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि घटना दिनांक को आरोपी गजाधर आरोपित मोटरसाइकिल क. एमपी०६ एमएफ 8783 को चला रहा था। ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि घटना दिनांक को आरोपी के पास आरोपित मोटरसाइकिल क. एमपी०६ एमएफ 8783 को चलाने का बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अतः आरोपी को उक्त अपराध में भी दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

- 20. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे। यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।
- 21. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 21/11/16 को दिन के करीबन 11 बजे चितौरा पेद्रोल पम्प के सामने लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाइकिल क. एमपी06 एमएफ 8783 को बिना बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी गजाधर माहौर को भा.दं.सं. की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 146/196 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- 22. अारोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।
- 23. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल क. एमपी०६ एमएफ ८७८३ पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। अतः उसके संबंध में सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद दिनांक – 02 /03 /2017 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय मेंघोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

्रिट प्रथम श्रेणी (प्रतिष्ठा अवस्थी)
्ट प्रथम श्रेणी न्यायिक मिण्ड(प्रथम श्रेणी)
भेण्ड(म०प्र०) गोहद जिला भिण्ड(प्र०प्र०)